



(☎ 022-22862703)  
ई-मेल/e-mail-[irw@dae.gov.in](mailto:irw@dae.gov.in)  
फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &  
2282 4354

भारत सरकार  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
**DEPARTMENT OF ATOMIC  
ENERGY**  
औ. सं. एवं क. अनुभाग

अणुशक्ति भवन  
Anushakti Bhavan,  
छ. शि. म. मार्ग  
C.S.M. Marg,  
मुंबई/Mumbai - 400001

सं.No.7/2/2019-IR&W/14335

नवंबर November 21, 2019

**कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM**

**विषय:** तृतीयक सेवा केंद्रों में ठहरने की अवधि को विस्तारित करने के मामलों में ठहरने की अवधि व ठहरने की अधिकतम अवधि एवं अस्पताल प्रभारों की अधिकतम सीमा हेतु दिशानिर्देश के संबंध में।

**Sub:** Guidelines on duration of stay & upper limit of stay and upper limit of hospital charges in cases involving extended period of stay in tertiary care centres— reg.

\*\*\*\*\*

तृतीयक सेवा केंद्रों में ठहरने की अवधि को विस्तारित करने के मामलों में ठहरने की अवधि व ठहरने की अधिकतम अवधि एवं अस्पताल प्रभारों की अधिकतम सीमा आदि हेतु दिशानिर्देश के संबंध में विभाग में पत्र प्राप्त हुए हैं। इस मामले की जांच व संस्तुति हेतु उसे सीएचएसएस समीक्षा समिति के पास भेजा गया था। सीएचएसएस समीक्षा समिति की संस्तुतियों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक इकाई के प्रशासन प्राधिकारी को ऐसे मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करना जरूरी है :

Reference has been received in the Department requesting for guidelines with respect to duration of stay and upper limit of hospital charges, etc., in cases involving extended period of stay in tertiary care centres. The matter was referred to the CHSS Review Committee for examination and recommendation. Based on the recommendations of the CHSS Review Committee, it has been decided that the CHSS Administering Authority in each Unit is required to adhere to the following procedure in such cases:

- (1) वरिष्ठ डाक्टरों वाले मेडिकल बोर्ड के साथ मामले पर चर्चा करना।  
Discuss the case with Medical Board comprising of Senior Doctors.

- (2) सीएचएसएस अस्पताल में मरीज को देखने के लिए एक विशेषज्ञ को तैनात करना एवं सीएचएसएस पैनल अस्पताल में उपचार कर रहे विशेषज्ञ एवं परिजनों के साथ चर्चा करना।  
Depute a specialist to see the patient at CHSS Hospital & also discuss with the treating specialist at CHSS Panel Hospital and the relatives.
- (3) परिजनों की काउंसलिंग सुनिश्चित करना ताकि वे मरीज को मूलभूत जीवन सहायक सुविधा दिलाने के लिए उसे पड़वि अस्पताल में वापस ले जाएं और सीएचएसएस पैनल अस्पतालों में समय-समय पर समीक्षा करवाएं।  
Ensure that relatives are given counseling to take the patient back to DAE Hospital to provide basic life support and for periodical review in CHSS Panel Hospital.
- (4) उपचार कर रहे अस्पताल और सीएचएसएस पैनल अस्पताल के परामर्श से प्रत्येक मामले के आधार पर कीमत की अधिकतम सीमा निर्धारित करना।  
As regards upper limit of cost, it may be decided on case to case basis in consultation with the treating hospital and CHSS Panel Hospital.
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।  
This issues with the approval of Competent Authority.



(राकेश गर्ग Rakesh Garg)  
निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

**सभी सीएचएसएस प्रशासन प्राधिकारी**  
**All CHSS Administering Authorities**